राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांक : 14 MAR 2022

आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि प्राधिकरण/न्यास द्वारा समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकरणों में आवश्यकतानुसार विज्ञापन का प्रकाशन किया जाता है एवं प्रकाशित सूचना में सभी आवेदकों के नाम व अन्य विवरण अंकित किये जाते हैं, जिससे आवेदकों पर विज्ञापन राशि का भार अधिक आता है। अतः इस स्थिति के निवारण हेतु समस्त प्राधिकरण/न्यासों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. विज्ञापन संक्षिप्त हो जिसमें केवल कॉलोनी/मोहल्ले का नाम व प्रकरण वार संख्या अंकित हो एवं बाकी विस्तृत विवरण (आवेदक का नाम, पता, क्षेत्रफल, प्रस्तावित कार्यवाही व निर्धारित अवधि आदि) के लिए वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखने का उल्लेख किया जाये। (उदहरण के लिए संक्षिप्त विज्ञापन का प्रारूप संलग्न है)।
2. विज्ञापन का व्यय किसी भी आवेदक से न लेकर संबंधित प्राधिकरण/न्यास द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamS

विज्ञापन का प्रारूप

प्राधिकरण / न्यास का नाम

क्रमांक :–   दिनांक :–

विज्ञप्ति / सूचना

निम्न कॉलोनी / मोहल्ले के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण (विकास प्राधिकरण / न्यास का नाम) .... की वेबसाईट .... / नागरिक सेवा केन्द्र / एकल खिडकी / नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति / सुझाव यदि हो तो .... दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

सचिव / उपायुक्त